IN THE COURT OF A.C.J.M.-I,
Civil Court, Rosera, (Samastipur), Bihar.
Rosera P.S. Case No. 247 of 2023, C.I.S No. 327/2023
State of Bihar Vs. Laddubati Devi & Others.

Date of Order	*Order with initials of the Magistrate*	*Remarks.*
24-07-2023	वाद संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। वाद पुकार पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में अभियुक्त क्रमशः 1. राम सागर मंडल, 2. पूरन मंडल, 3. राम स्वरूप मंडल, 4. लड्डूवती देवी एवं 5. तीन–चार अज्ञात के विरूद्ध धारा– 341, 323, 379, 354B, 354, 504, एवं 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र के कॉलम संख्या–11 में अंकित सभी नामित प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–341, 323, 504 एवं 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आरोप पत्रित अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्रित धाराओं में संज्ञान लेने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है एवं प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है। **फलस्वरूप, आरोप पत्र के नामांकित अभियुक्त 1. राम सागर मंडल, 2. पूरन मंडल, 3. राम स्वरूप मंडल, एवं 4. लड्डूवती देवी के विरूद्ध आरोप पत्रित धारा– 341, 323, 504, एवं 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक–18.10.2023 वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण की। **लेखापित** **अ0मु0न्याय0दण्डा0–प्रथम,** **रोसड़ा।**	